

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1738/

जबलपुर, दिनांक 21/04/2017

निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को सहायक ग्रेड-तीन के पद पर वेतन बैंड-1 में वेतनमान रु. 5200—20200 ग्रेड पे रु. 1900/- में नियमानुसार समय—समय पर देय भत्तों सहित परिवीक्षा पर 2 वर्ष के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई पदस्थापना पर अरथाई एवं रथानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :—

क्र.	नाम	पदस्थापना का स्थान
1.	श्री कपिल साधवानी आत्मज स्व० श्री कन्हैया लाल साधवानी	मुख्यपीठ जबलपुर
2.	श्रीमती अर्चना पाण्डेय आत्मजा श्री हरगोविंद पाण्डेय	खण्डपीठ इंदौर
3.	श्री हिमांशु शिवहरे आत्मज श्री कन्हैया लाल शिवहरे	खण्डपीठ ग्वालियर
4.	श्री सिकंदर खान आत्मज श्री मुजीब खान	खण्डपीठ ग्वालियर
5.	श्री राहुल श्रीवास आत्मज श्री अशोक श्रीवास	खण्डपीठ ग्वालियर
6.	श्री रविन्द्र कुमार भिमटे आत्मज श्री भीमराव भिमटे	मुख्यपीठ जबलपुर
7.	कु. अपराजिता दुबे आत्मजा श्री रजनीश दुबे	खण्डपीठ ग्वालियर
8.	श्री अमीर मोहम्मद भिश्ती आत्मज श्री नजीर मोहम्मद भिश्ती	खण्डपीठ इंदौर
9.	श्रीमती प्रियंका दीपक तिवारी पत्नि श्री दीपक तिवारी	मुख्यपीठ जबलपुर
10.	श्री शैलेन्द्र सिंह ठाकुर आत्मज श्री ओंकार सिंह ठाकुर	मुख्यपीठ जबलपुर
11.	श्री धनेश साहू आत्मज श्री नरेश राम साहू	खण्डपीठ इंदौर
12.	श्री रिंकु सिंह कुशवाह आत्मज श्री राजेन्द्र सिंह कुशवाह	खण्डपीठ ग्वालियर
13.	श्री रुपेश बारसकर आत्मज श्री उकंडराव बारसकर	खण्डपीठ इंदौर
14.	श्री महेश्वर प्रसाद खटिक आत्मज स्व० श्री रामसियम्बर खटिक	मुख्यपीठ जबलपुर
15.	श्री कुलदीप माठे आत्मज श्री सुरेश चंद्र माठे	खण्डपीठ ग्वालियर
16.	कु. गोनिका आत्मजा श्री अनिल	खण्डपीठ ग्वालियर
17.	श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर आत्मज श्री रघुनाथ सिंह ठाकुर	मुख्यपीठ जबलपुर
18.	श्री सुनील गोयल आत्मज श्री घनश्याम गोयल	खण्डपीठ ग्वालियर
19.	श्री शिवशंकर महरकी आत्मज श्री कृष्णराव महस्की	खण्डपीठ ग्वालियर
20.	श्री रविन्द्र सिंह बुन्देला आत्मज श्री नारायण सिंह बुन्देला	मुख्यपीठ जबलपुर
21.	श्री रोबिन माठे आत्मज श्री पूरन माठे	खण्डपीठ ग्वालियर
22.	श्री राजेश कुमार डहेरिया आत्मज श्री बारेलाल डहेरिया	मुख्यपीठ जबलपुर
23.	श्री संजित गिरी गोस्वामी आत्मज श्री ईश्वर गिरी गोस्वामी	मुख्यपीठ जबलपुर
24.	श्री लाखन राजपूत आत्मज श्री माधव राजपूत	खण्डपीठ ग्वालियर
25.	श्री दिनेश सेन आत्मज श्री नर्हेलाल सेन	मुख्यपीठ जबलपुर
26.	श्री जीतेन्द्र कुमार बिजोरिया आत्मज स्व० श्री परसराम बिजोरिया	खण्डपीठ ग्वालियर

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व राच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. यह कि चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में एवं पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रतियों में तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वरक्ष्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड है।
3. यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर संबंधित पदस्थापना (मुख्यपीठ जबलपुर, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर) के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है, और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
4. यह कि, वे समरत दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते हैं तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा।
5. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13-04-2005 के अनुसार पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।
6. यह कि, चयनित अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वरक्ष्यता परीक्षण का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वरक्ष्यता का प्रमाण—पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।
7. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
8. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी।
9. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।

10. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा, बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
11. यह कि, आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उनके द्वारा जाति संबंधी प्रस्तुत प्रमाण—पत्र के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उसका सत्यापन कराया जावेगा। यदि सत्यापन उपरांत प्रमाण—पत्र फर्जी या कूटरचित पाये गये अथवा यह पाया गया कि उक्त प्रमाण—पत्र के आधार पर उन्हें वर्ग विशेष के लिये आरक्षित पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं था तो नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी।
12. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त समझी जावेगी।
13. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्त मान्य हैं और भविष्य में समय—समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा।
14. यह कि, चयनित अभ्यर्थी पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन—पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।
15. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण—पत्र, शपथ—पत्र एवं मूल प्रमाण—पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के  
आदेशानुसार

सही /—  
(मो. फहीम अनवर)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/1739 /

जबलपुर, दिनांक 21/04/2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ इंदौर,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.),
3. रजिस्ट्रार प्रशासन / न्यायिक 1 एवं 2 / डी.ई./ई./आई.एल. / (निरी. एवं सतर्कता) / एकजाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी / कम—पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर पदों को डी.डी.ओ.—रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, डी.डी.ओ. क्रमांक 1802103001, खण्डपीठ इंदौर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1702103001 एवं खण्डपीठ ग्वालियर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1412103001, एम्प्लाई डेटाबेस में प्रविष्टि कराने हेतु अग्रेषित,
6. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर
7. ज्वाईट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,

8. डिप्टी रजिस्ट्रार ..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार ..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/सतर्कता/आई. एल. आर एवं एक्जाम महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
14. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवापुरिति का/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
16. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
17. श्री कपिल साधवानी आत्मज स्व० श्री कन्हैया लाल साधवानी द्वारा श्री राजकुमार पाठक, मकान नं.- 2215/1, भारत कॉलोनी, मदन महल वार्ड, जबलपुर (म.प्र.) 482001,
18. श्रीमती अर्चना पाण्डेय आत्मजा श्री हरगोविंद पाण्डेय, जी-7/73, न्यू 228 क्वार्टर साउथ टी.टी. नगर, भोपाल, (म.प्र.) 462003
19. श्री हिमांशु शिवहरे आत्मज श्री कन्हैया लाल शिवहरे, तपसी बाबा गुफा मंदिर के पीछे, नाला नं.-2, मुरैना (म.प्र.) 476001
20. श्री सिकंदर खान आत्मज श्री मुज़ीब खान, बारादरी चौराहा, ईदगाह के पास, मुरार ग्वालियर (म.प्र.) 474006
21. श्री राहुल श्रीवास आत्मज श्री अशोक श्रीवास, तपसी बाबा गुफा मंदिर के पीछे, नाला नं.-2, मुरैना (म.प्र.) 476001
22. श्री रविन्द्र कुमार भिमटे आत्मज श्री भीमराव भिमटे, ग्राम सोगलपुर, पोस्ट-बिसोनी, तहसील-लौंजी, बालाघाट (म.प्र.) 481222
23. कु. अपराजिता दुबे आत्मजा श्री रजनीश दुबे, मकान नं. MIG - 771, पुरानी हाउसिंग कॉलोनी (पानी की टंकी के पास) मुरैना (म.प्र.) 476001
24. श्री अमीर मोहम्मद भिश्ती आत्मज श्री नज़ीर मोहम्मद भिश्ती, 87K, कैलाश मार्ग, मल्हारगढ़, जिला-मंदसौर (म.प्र.) 458339
25. श्रीमती प्रियंका दीपक तिवारी पत्नि श्री दीपक तिवारी, मकान नं.- 1352, नई बस्ती, सुभाष नगर, झंडा चौक, बिलपुरा रोड, संजय किराना के सामने, रांझी, जबलपुर (म.प्र.) 482005
26. श्री शैलेन्द्र सिंह ठाकुर आत्मज श्री ओंकार सिंह ठाकुर, मकान नं.-1376, गुरहा तालाब, गंगानगर, गढ़ा जबलपुर (म.प्र.) 482003
27. श्री धनेश साहू आत्मज श्री नरेश राम साहू, झुग्गी नं. 31, नए पुलिया के पास दाना पानी रोड (साहू किराना) मीरा मंदिर, ईश्वर नगर, ई-6, अरेसा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) 462016
28. श्री रिकू सिंह कुशवाह आत्मज श्री राजेन्द्र सिंह कुशवाह, कै०एस० स्कूल के पीछे, प्रताप कॉलोनी, वार्ड नं. 46, ए०बी० रोड, मुरैना (म.प्र.) 476001
29. श्री रुपेश बारसकर आत्मज श्री उकंडराव बारसकर, 29-बी-डी सेक्टर, बंजारी सोसायटी, नयापुरा कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) 462042
30. श्री महेश्वर प्रसाद खटिक आत्मज स्व० श्री रामसियम्बर खटिक, ग्राम-चांदी, पोस्ट-अकौरी, तहसील-जवा, थाना-जवा, जिला-रीवा (म.प्र.) 486223
31. श्री कुलदीप माठे आत्मज श्री सुरेश चंद्र माठे, माठे निवास, कोटावाला मोहल्ला, लोहा मण्डी, ग्वालियर (म.प्र.) 474003
32. कु. मोनिका आत्मजा श्री अनिल, विक्रम नगर, पेट्रोल पंप के सामने, ए.बी. रोड, मुरैना (म.प्र.) 476001
33. श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर आत्मज श्री रघुनाथ सिंह ठाकुर, एच-73, कृषि नगर कॉलोनी, अधारताल, जबलपुर (म.प्र.) 482004

34. श्री सुनील गोयल आत्मज श्री घनश्याम गोयल, ब्लॉक कॉलोनी, केशव नगर, गुरुद्वारा रोड, श्योपुर (म.प्र.) 476337
  35. श्री शिवशंकर म्हस्की आत्मज श्री कृष्णराव म्हस्की, म्हस्की फोटो स्टूडियो, कृष्णपुरा वार्ड— 10, थाना रोड, टिकारी, बैतूल (म.प्र.) 460001
  36. श्री रविन्द्र सिंह बुन्देला आत्मज श्री नारायण सिंह बुन्देला, शिवनगर कॉलोनी, मण्डी रोड, टीकमगढ़ (म.प्र.) 472001
  37. श्री रोबिन माठे आत्मज श्री पूरन माठे, माठे निवास, शीतला माता के मंदिर के पास, कोटावाला मोहल्ला, ग्वालियर (म.प्र.) 474003
  38. श्री राजेश कुमार डहेरिया आत्मज श्री बारेलाल डहेरिया, पॉलीटेक्निक कॉलेज के पीछे, बीझांवाड़ा रोड, अकबर वार्ड, बारापत्थर, जिला—सिवनी (म.प्र.) 480661
  39. श्री संजित गिरी गोस्वामी आत्मज श्री ईश्वर गिरी गोस्वामी, वार्ड नं.—08, चिंचगांव, पो० खमरिया, तह० कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.) 481445
  40. श्री लाखन राजपूत आत्मज श्री माधव राजपूत, गणेश विहार कॉलोनी, गली नं.—03, गुढ़ा कम्पू लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) 474001
  41. श्री दिनेश सेन आत्मज श्री नन्हेलाल सेन, सहोद्रा बाई राय वार्ड, पानी की टंकी के पास, खुरई जिला सागर (म.प्र.) 470117
  42. श्री जीतेन्द्र कुमार बिजोरिया आत्मज स्व० श्री परसराम बिजोरिया, मकान नं. 547, सी०आर०पी० फाटक रोड, कुम्हार मोहल्ला, बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.) 462030
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(चन्द्रेश कुमार खरे)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)